

Kolkata Port Trust

15, Strand Road Kolkata- 700001 Fax No 033-2230-6212 Tel No.033-2231-2022

योजना विभाग / Planning Department कोलकाता पत्तन न्यास Kolkata Port Trust

Finance Department

No. Fin/618/B

पंजी सं । | स्थाप्र | १८०१२ | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। | १८०। |

January 20, 2017

All concerned

W. 26 20.1.17

Subject:

Reduction in Port Charges for Coastal Transportation of Vehicles through Ro-Ro ship.

वरि. उप निदेशक (ईडीपी) कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। कृते संयुक्त निदेशक (पी एंड आर)

Consequent to the directives of Ministry of Shipping, Govt. of India and the Tariff Authority for Major Ports' Notification bearing G.No. 400 dated 09.11.2016, the Board of Trustees has approved 80% discount on vessel and cargo related charges for coastal transportation of vehicles through Ro-Ro ships vide Reso. No. R/123/KDS/FIN/1/11/2016 dated 30.11.2016. Accordingly, the following provision will be the part of the Scale of Rates of Kolkata Port Trust:

"80% discount on vessels related charges and cargo related charges for coastal transportation of vehicles through Ro-Ro ship will be granted for a period of two years with effect from 20 September 2016".

With the above, all earlier circulars on reduction in port charges on domestic cars and trucks carried by Coastal Ro-Ro vessel stand withdrawn.

(Prateen Lala)